रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 754] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2017/फाल्गुन 25, 1938
No. 754] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2017/PHALGUNA 25, 1938

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2017

का.आ. 840(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3102 (अ), तारीख 17 नवम्बर, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त प्रारुप अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 16 नवंबर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब राज्य के रुपनगर जिले में अक्षांश 31º16' उत्तर और देशांतर 76º31.5' पूर्व के बीच स्थित है और 7.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, अभयारण्य की वनस्पति का वर्गीकरण किक्कर(*वाचेलिया कर्रू*) शीशम (*डॉलबेरगीअ सिस्सू*), नीम (*अज़दिराचता इंडिका*), बेर (*ज़ीज़हेफूस स्पा*), फिक्स (*फिक्स स्पा*), सीरिस (*अलबिजिआ स्पा*), पीपल (*फिकस स्पा*), बोहर, जामुन (*स्यजयगिम कमिनि*), आम (*मेगनीफेरा इंडिका*) इत्यादि जैसी प्रमुख वृक्ष प्रजातियों सहित उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के रूप में किया गया है;

और, यह क्षेत्र पशुओं और पक्षियों की विविधता के संभरण के लिए जाना जाता है। कछुए तथा सांपों के अलावा हॉग डियर (*हेलाफुस पार्किस*), जंगली सूअर (*सूस सरोफा*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चाउस*), सियार (*केनिस स्पा*), सामान्य नेवला (*हेरपेसतेस स्पा*), सामान्य भारतीय खरगोश (लेफुस स्पा) आदि मुख्य प्रजातियां हैं और अन्य क्षेत्रों से विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों के आने के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। नांगल झील में 49 मत्स्य प्रजातियों का भी आश्रय है ;

और, नांगल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक पर्यावरण जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य में नांगल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को नांगल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन नांगल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर की सीमा से 100 मीटर तक के विस्तार सहित 1.26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक विस्तारित होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र सीमा वर्णन और अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) नांगल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ जी.पी.एस निर्देशांकों के बिन्दु **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध हैं।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-III** में दी गई है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में विचारार्थ अनुबंधों का पालन करते हुए तथा राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरुप तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समेकित करने के लिए निम्नलिखित राज्य विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस योजना का, उसके मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग के ब्यौरे देते हुए समर्थन किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन की सुरक्षा करने के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों की मानीटरी के संबंध में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा और ऐसे क्षेत्रों को मानचित्र के साथ आंचलिक महायोजना में स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर अनुज्ञात किया जा सकेगा, और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अन्य नियमों और विनियमों के, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास हैं ; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 7 के अंतर्गत दिए गए क्रियाकलाप:

(ग) परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में सामने आने वाले कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्ध की जाएगी और उक्त त्रुटि को शुद्ध करने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि को शुद्ध करने में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनरोपण और आवास प्रत्यावर्तन के साथ पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुदार के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट ऐसे विकास क्रियाकलाप जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, प्रतिषिद्ध करने के लिए आवाह क्षेत्र योजना तैयार की जाएगी ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप और विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

IndiaCode

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार से इनमें से, जो भी नजदीक हो, 1 किलोमीटर के भीतर, होटलों और रिर्सोटों के नए संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिर्सोटों की स्थापना को पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ही अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलाप केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांत (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए होंगे;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, बिंदुओं भ्रमण, चोटियां आदि की पहचान की जाएगी और उनकी संरक्षा की जाएगी तथा आंचलिक महायोजना के एक भाग के रुप में एक योजना तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी तथा आंचलिक महायोजना के एक भाग के रुप में एक योजना तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानकों और विनियमों को कार्यान्वित करेंगे ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तदधीन बनाए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरण प्रदूषकों के निस्सारण के लिए साधारण मानकों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **यानीय यातायात-** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(14) **औद्योगिक इकाईयां -** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ii) केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के प्रवर्गीकरण द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(15) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण-** पहाड़ी ढालों का संरक्षण नीचे दिए अनुसार होगा ।

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढालों पर उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जिन पर किसी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) तीखे पहाड़ी ढलानों या भूक्षयण की अधिकाशत: वाले ढलानों पर किसी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(16). केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अन्य उपायों को, यदि इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वह आवश्यक समझे, विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

IndiaCode

5.	बृहत ताप जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	कंपनियों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	विनियमित क्रियाकलाप :	
10.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार, इनमें से जो भी नजदीक हो, से 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाए पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुरुप होंगे ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार, इनमें से जो भी नजदीक हो, से 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 6 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखा जाएगा । (ग) इसके अतिरिक्त, एक किलोमीटर से परे इसकों आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
12.	उपचारित बहिस्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा और उपचारित बहिस्राव के पुन: चक्रण/ पुन: उपयोग के प्रयास किए जाएंगे ।
13.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार पारिस्थतिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।
14.	ध्वनि प्रदूषण ।	राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों का अनुपालन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन उपदर्शित उपबंधों के अनुसार करेंगे ।
15.	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	स्थानीय जनता की पेयजल या कृषि आवश्यकता को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
17.	प्रवासी चरवाहें ।	लागू विधियों के अधीन और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	विद्यमान स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	इलैक्ट्रिकल और संसूचना टावरों को लगाना तथा विद्युत लाइनों को बिछाना और अन्य अवसंरचना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल डालने का संवर्धन किया जाए ।
20.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
22.	वाणिज्यिक प्राकृतिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
24.	प्रवासी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	1 से 10 से अधिक ढालों वाली पहाड़ी पर और साथ ही किसी नदी या प्राकृतिक नाले के 100 मीटर तक के क्षेत्र में कोई संनिर्माण क्रियाकलाप तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आंचलिक महायोजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञात न हो ।
27.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	कृषि या अन्य उपयोग हेतु खुले हुए कुएं, बोरवेल आदि।	विनियमित और इस क्रियाकलाप की समुचित प्राधिकारी द्वारा कड़ाई से मानीटरी की जानी चाहिए ।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पारिस्थितिक-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
33.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या

		कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
34.	जैविक कृषि ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
37.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
42.	निम्नकोटिकृत भूमि/वनों/वास का पुनरुद्धार।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

-

(i) कलेक्टर, रूपनगर पंजाब -अध्यक्ष;

(ii) पंजाब सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(iii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि–सदस्य;

(iv) पंजाब राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य, -सदस्य;

(v) क्षेत्रीय अधिकारी, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड –सदस्य;

(vi) रेंज अधिकारी (वन्यजीव), नूरपूर बेदी; –सदस्य;

(vii) उप पुलिस अधीक्षक, आनंदपुर साहिब -सदस्य;

(viii) वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, नूरपूर बेदी -सदस्य;

(ix) वन का उप संरक्षक -सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन :-

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

IndiaCode

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

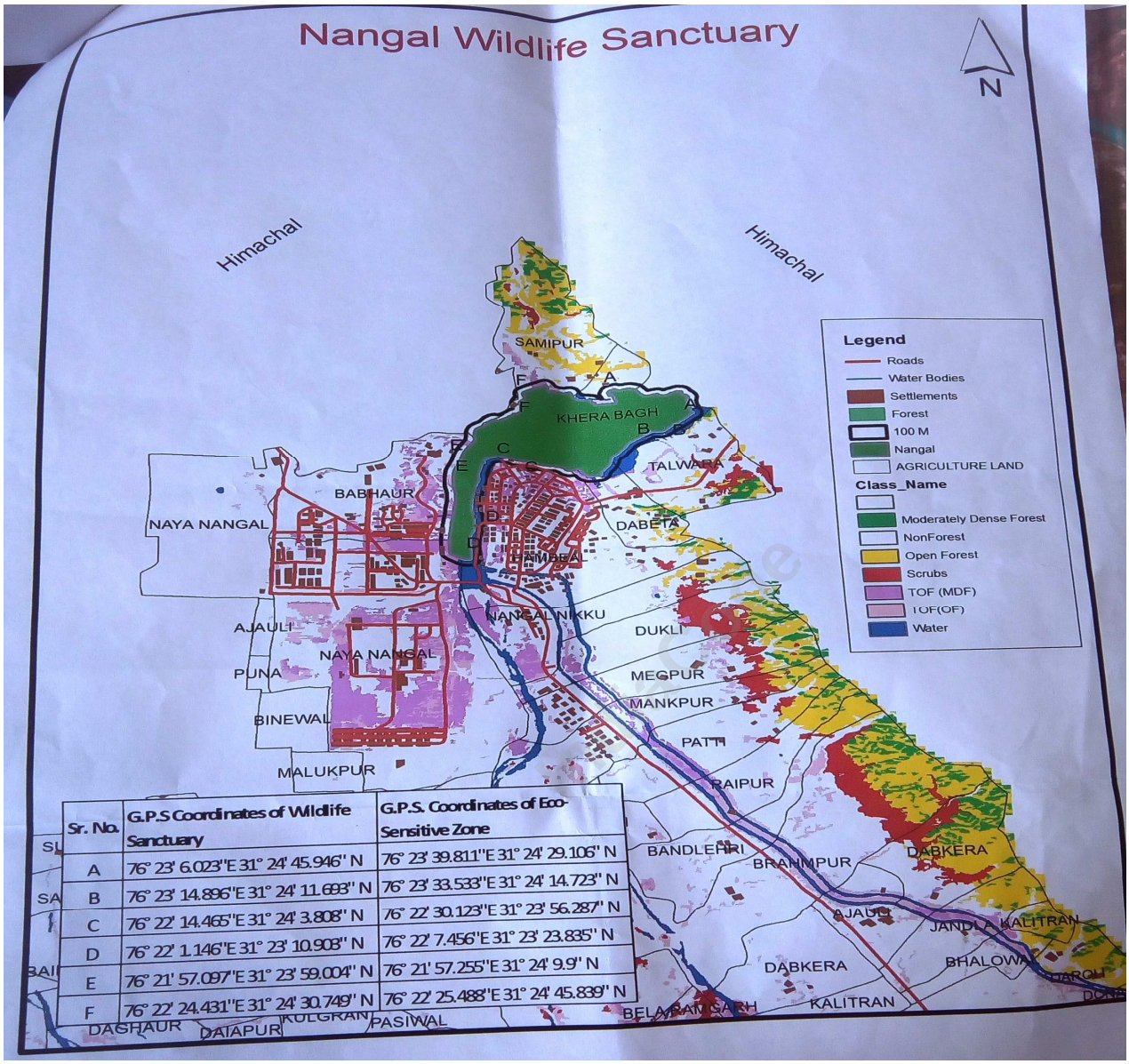
8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/131/2015-ईएसजेड/आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

अक्षांश और देशांतर के साथ नांगल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



Sr. No.	G.P.S Coordinates of Wildlife Sanctuary	G.P.S. Coordinates of Eco-Sensitive Zone
A	76° 23' 6.023"E 31° 24' 45.946" N	76° 23' 39.811"E 31° 24' 29.106" N
B	76° 23' 14.896"E 31° 24' 11.693" N	76° 23' 33.533"E 31° 24' 14.723" N
C	76° 22' 14.465"E 31° 24' 3.808" N	76° 22' 30.123"E 31° 23' 56.287" N
D	76° 22' 1.146"E 31° 23' 10.908" N	76° 22' 7.456"E 31° 23' 23.835" N
E	76° 21' 57.097"E 31° 23' 59.004" N	76° 21' 57.255"E 31° 24' 9.9" N
F	76° 22' 24.431"E 31° 24' 30.749" N	76° 22' 25.488"E 31° 24' 45.839" N

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के नांगल वन्यजीव अभयारण्य और नांगल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा विवरण

क्र.सं	वन्यजीव अभयारण्य के जी.पी.एस निर्देशांक	
ए	76⁰23’6.023’’ पू	31⁰24’45.946’’उ
बी	76⁰23’14.896’’ पू	31⁰24’11693’’ उ
सी	76⁰22’14.465’’ पू	31⁰ 24’3.808’’ उ
डी	76⁰22’1146’’ पू	31⁰23’10.908’’ उ
ई	76⁰21’57.097’’ पू	31⁰23’59.004’’ उ

एफ	76°22'24.431 पू	31°24'30.749'' उ
	पारिस्थितिक संवेदी जोन के जी.पी.एस निर्देशांक	
ए	76°23'39.811'' पू	31°24'29.106'' उ
बी	76°23'33.533'' पू	31°24'14.723'' उ
सी	76°22'30.123'' पू	31°23'56.287'' उ
डी	76°22'7.456'' पू	31°23'23.835'' उ
ई	76°21'57.255'' पू	31°24'9.9'' उ
एफ	76°22'25.488'' पू	31°24'45.839 उ

उपाबंध-III

नांगल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	दबेता	31°23'49"उ	76°22'50"पू
2.	तलवार	31°24'06" उ	76°23'34" पू
3.	खेरा बाग	31°24'36" उ	76°22'45" पू
4.	भिबौर साहिब	31°24'24" उ	76°22'08" पू
5.	स्वामीपुर	31°24'37" उ	76°23'22" पू
6.	न्यू नांगल	31°22'47" उ	76°22'06" पू

IndiaCode

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2017

S.O. 840(E).—Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3102 (E), dated 16th November, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 16th November, 2015;

And whereas, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

And whereas, the Nangal Wildlife Sanctuary located in Rupnagar District, Punjab and lying between Latitude 31º16'N and Longitude 76º31.5'E is spread over an area of 7.15 Sq. Kms;

And whereas, the sanctuary has the vegetation classified as Northern Tropical Dry Deciduous Forests with main tree species are , Kikkar (*Vachellia karroo*), Shisham (*Dalbergia sissoo*), Neem (*Azadirachta indica*), Ber (*Zizhyphus sp.*), Ficus (*Ficus sp.*), Siris (*Albizia sp.*), Pipal (*Ficus sp.*), Bohar, Jamun (*Syzygium cumini*), Mango (*Magnifera indica*) etc.;

And whereas, the area is known to support a variety of animals and birds; the main species are Hog Deer (*Hyelaphus porcinus*), Wild Boar (*Sus scrofa*), Jungle Cat (*Felis chaus*), Jackal (*Canis sp.*), Common Mongoose (*Herpestes sp.*), Common Indian Hare (*Lepus sp.*) besides turtles and snake and the area is also known to receive migratory birds of different species from other areas; the Nangal lake is also a home to 49 fish species;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundary of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Nangal Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto 100 meters around the boundary of Nangal Wildlife Sanctuary in the State of Punjab as the Nangal Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 1.26 Sq. Kms with an extent upto 100 meters around the boundary of Nangal Wildlife Sanctuary.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-I.**

(3) The GPS Co-ordinates of points along the boundary of Nangal WLS are given at **Annexure-II.**

(4) The list of villages falling in Eco-sensitive Zone are given at **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the said plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the in accordance with Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.—** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities and such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps:

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable to meet the residential needs of the local residents such as :

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v)Promoted activities and given under para 7.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment area plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.—**(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up as part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.—**Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.—**The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986

(7) **Air pollution.—**The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.—**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. -

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.—**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic Waste Management:-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management:-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(14) **Industrial Units-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed be established within ESZ vide Central Pollution Board's categorization.

(15) Protection of hill slopes.—The protection of hill slopes shall be as under:

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

16. The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. **Prohibited, Regulated and Promoted Activities within the Eco-sensitive Zone.-**

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

IndiaCode

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04 August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Provided that industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification of industries including agro-based small scale industries shall be regulated as per regulations.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area and upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws. (b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Discharge of treared effluents.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws and efforts shall be made to recycle/re-use the treated effluent.
13.	Air and Vehicular Pollution.	Regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.
14.	Noise pollution.	The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
15.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws to meet the drinking water or agricultural requirement of locals.
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
17.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
18.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
20.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rule and regualation nand available guidelines.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Commercial use of Natural water Resource including Ground water	Regulated under applicable laws

	Harvesting.	
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial vehicles under applicable laws
24.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws
25.	Sign Board and Hoardings.	Regulated under applicable laws
26.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
27.	Use of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
30.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
31.	Undertaking activities related to eco-tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries	Shall be actively promoted.
33.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.
39.	Agro Forestry	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.
41.	Skill Development	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

(i) Collector, Rupnagar, Punjab -Chairman;

(ii) an expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Punjab for a period of three years -Member;

(ii) one representative of Non-Governmental Organization (Working in the field of environment including heritage -Member;

conservation) to be nominated by the Government of India for a period of three years

(iv) Member of the Punjab State Biodiversity Board –Member;

(v) Regional Officer, Punjab Pollution Control Board -Member;

(vi) Range Officer (WL) Nurpur Bedi -Member;

(vii) Deputy Superintendent td. of Police, Anandpur Sahib -Member;

(viii) Senior Veterinary Officer, Nurpur Bedi -Member;

(ix) Deputy Conservator of Forest -Member-Secretary

6. Terms of Reference:

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of publication of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the state as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

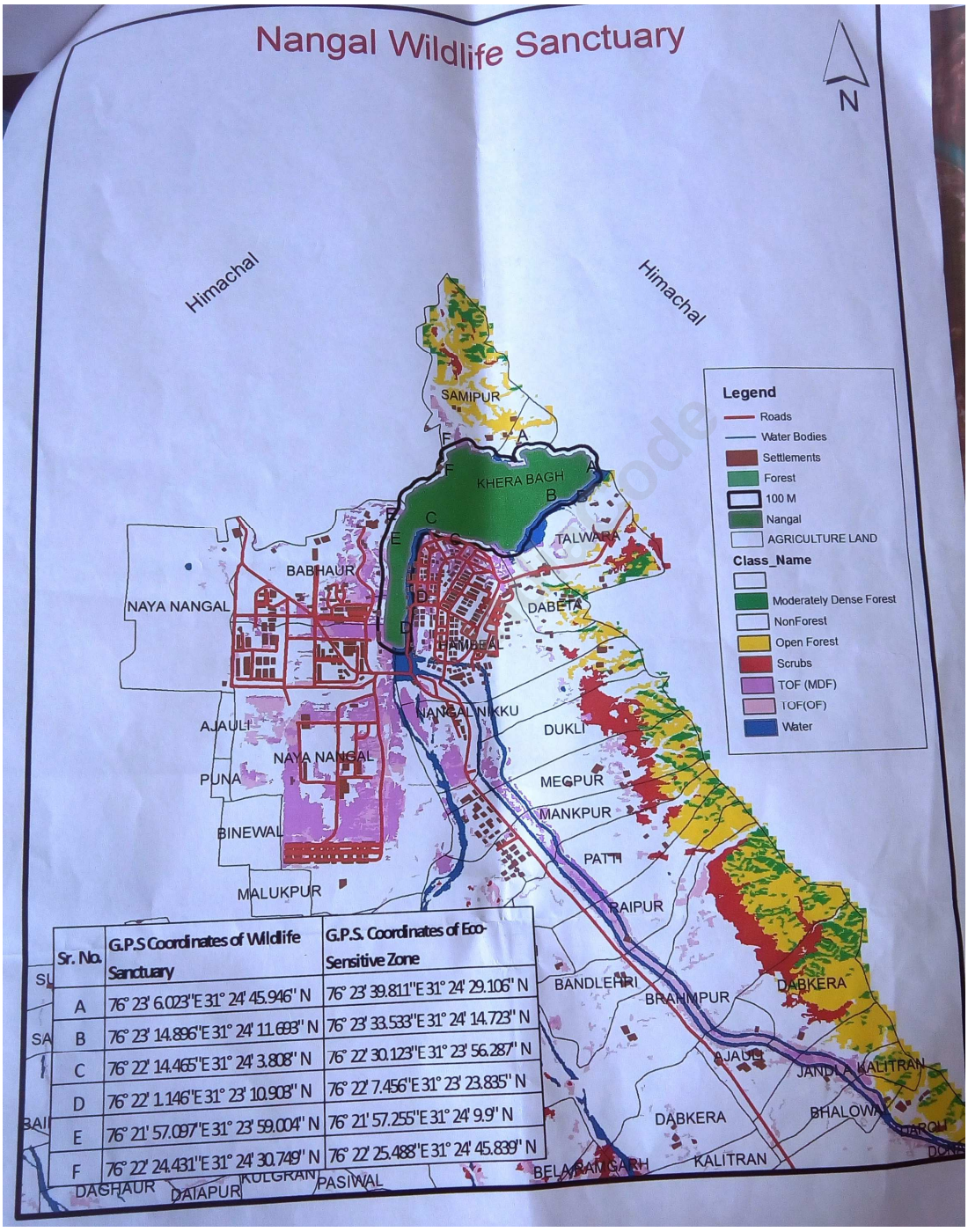
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/131/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NANGAL WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES



Sr. No.	G.P.S Coordinates of Wildlife Sanctuary	G.P.S. Coordinates of Eco-Sensitive Zone
A	76° 23' 6.023"E 31° 24' 45.946" N	76° 23' 39.811"E 31° 24' 29.106" N
B	76° 23' 14.896"E 31° 24' 11.693" N	76° 23' 33.533"E 31° 24' 14.723" N
C	76° 22' 14.465"E 31° 24' 3.808" N	76° 22' 30.123"E 31° 23' 56.287" N
D	76° 22' 1.146"E 31° 23' 10.903" N	76° 22' 7.456"E 31° 23' 23.835" N
E	76° 21' 57.097"E 31° 23' 59.004" N	76° 21' 57.255"E 31° 24' 9.9" N
F	76° 22' 24.431"E 31° 24' 30.749" N	76° 22' 25.488"E 31° 24' 45.839" N

ANNEXURE-II

Boundary description of Nangal WLS and Eco-Sensitive Zone of Nangal Wildlife Sanctuary

Sl. No	G.P.S. Coordinates of the Wildlife Sanctuary	
A	76023’6.023’’ E	31024’45.946’’N
B	76023’14.896’’ E	31024’11693’’ N

C	76022’14.465’’ E	310 24’3.808’’ N
D	76022’1146’’ E	31023’10.908’’ N
E	76021’57.097’’ E	31023’59.004’’ N
F	76022’24.431 E	31024’30.749’’ N
	G.P.S. Coordinates of the Eco-Sensitive Zone	
A	76023’39.811’’ E	31024’29.106’’ N
B	76023’33.533’’ E	31024’14.723’’ N
C	76022’30.123’’ E	31023’56.287’’ N
D	76022’7.456’’ E	31023’23.835’’ N
E	76021’57.255’’ E	31024’9.9’’ N
F	76022’25.488’’ E	31024’45.839 N

ANNEXURE-III

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF NANGAL WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No	Name of Village	Latitude	Longitude
1.	Dabeta	31023’49”N	76022’50”E
2.	Talwara	31024’06”N	76023’34”E
3.	Khera Bagh	31024’36”N	76022’45”E
4.	Bhibour Sahib	31024’24”N	76022’08”E
5.	Swamipur	31024’37”N	76023’22”E
6.	New Nangal	31022’47”N	76022’06”E

IndiaCode

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings;
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise);

 Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

 Details may be attached as separate Annexure;
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

 Details may be attached as separate Annexure;
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.17 22:48:57 +05'30'